



JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED

(A Government of Rajasthan Undertaking)
{Chief Accounts Officer(IA)}

Regd. Office: Vidyut Bhawan, Janpath, Jyoti Nagar, Jaipur 302005
Tel: 0141-2740264, 2740381 Ext. 1436 /Fax: 0141-2740264
Website: www.jaipurdiscom.com Email: caoia@jvvn.in

No. JPD/CAO(IA)/AO/Rules/F.150 / D. 2583

Jaipur, dated: - 5/9/2017

ORDER

Sub: - Adoption of State Government's Order No F.17(10) DOP/A-II/94 dated 11.07.2017.

The Managing Director, while exercising powers conferred vide order No. JPD/CAO(IA)/AO/Rules/ F.90/D. 3203 dated 20.01.2014 (JPD/Rules-939), is pleased to adopt the State Government's Order No. F.17(10) DOP/A-II/94 dated 11.07.2017 (copy enclosed), regarding guidelines for obtaining services of retired officers/employees of the Nigam on contract basis in supersession of its earlier order dated 10.02.2016.

The committees constituted vide order No. JPD/CAO(IA)/AO/Rules/F.150/D. 2436 dated 05.12.2014 (JPD/Rules-973) and No. JPD/CPO/PO(ME)/F./D. 1755 dated 02.09.2016 shall follow these guidelines properly.

Encl:- As above.

By order,

(Dr. R.P. Gupta)

Chief Accounts Officer (IA)

Copy forwarded to the following for information and circulation in various offices under their jurisdiction and control: -

1. The Chief Engineer/Zonal Chief Engineer (), JPD, _____
2. The Dy. Chief Engineer (), JPD, _____
3. The Chief Personnel Officer, JPD, Jaipur.
4. The Secretary (Admn.)/Company Secretary, JPD, Jaipur.
5. The Chief Accounts Officer (FM-W&M/ Rev. & Billing) JPD, Jaipur.
6. The Addl. Superintendent of Police (Vig.), JPD, Jaipur.
7. The Superintending Engineer (), JPD, _____
8. The Superintending Engineer (IT), JPD, Jaipur. He is requested to upload this order indicating JPD/Rules No. on the Jaipur Discom's website.
9. The Sr. Accounts Officer ()/ Dy. Director of Personnel (), JPD, _____
10. The Accounts Officer/Asstt. Accounts Officer (), JPD, _____
11. P.A to the Chairman, Discoms/Managing Director, JVVNL, Jaipur.
12. P.A to the Director (Finance/Technical), JPD, Jaipur.

(S.M. Rafique)

Asst. Accounts Officer (Rules)

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक: एफ. 17(10)डीओपी/ए-11/94

जयपुर, दिनांक :- 11 JUL 2017

--:परिपत्र:-

विषय:-सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं संविदा के आधार पर लेने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त।

वित्त (नियम) विभाग द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम-164A में किये गये संशोधन की अधिसूचना क्रमांक एफ. 12(6)वित्त/नियम/2009 दिनांक 01.12.2015 के अनुक्रम में राजकीय विभागों में स्पष्ट रिक्त पदों के विरुद्ध सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अनुबन्ध पर रखने के संबंध में कार्मिक विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 10.02.2016 के अधिक्रमण (Supersession) में, राज्य सरकार के विभागों, विभिन्न परियोजनाओं, नये आयोगों, समितियों, राजकीय संस्थाओं आदि में जहां भी सेवा नियम अभी तक नहीं बन पाये हैं या रिक्त पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारी उपलब्ध होने में विलम्ब की संभावना है, वहां तात्कालिक आवश्यकता और अपरिहार्यता को दृष्टिगत रखते हुए, जनहित में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में, समेकित पारिश्रमिक पर संविदा पुनर्नियुक्ति के माध्यम से सेवाएं लिए जाने हेतु निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं :-

राज्य, अधीनस्थ, मंत्रालयिक, चतुर्थ श्रेणी सेवाओं एवं विभिन्न परियोजनाओं, नये आयोगों, समितियों तथा राजकीय संस्थाओं की स्पष्ट रिक्तियों के विरुद्ध संविदा पुनर्नियुक्ति प्रथम बार एक वर्ष अथवा नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने में से, जो भी पहले हो, तक की कालावधि के लिए प्रशासनिक विभाग के पूर्व अनुमोदन से की जा सकेगी, जिसे पद नहीं भरने के कारण/औचित्य दर्शाते हुए, प्रशासनिक विभाग की आज्ञा/पूर्व अनुमति से एक वर्ष की कालावधि के लिए और विस्तारित (Extend) किया जा सकेगा।

दो वर्ष के बाद संविदा पुनर्नियुक्ति की अवधि में अभिवृद्धि कार्मिक एवं वित्त विभाग की पूर्वसहमति से ही की जा सकेगी।

उक्तानुसार संविदा पर पुनर्नियुक्ति/संविदा अवधि में अभिवृद्धि करते समय निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित की जावेगी :-

- (1) संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं केवल जनहित में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु उन पदों के विरुद्ध ही ली जा सकेंगी जो कि स्पष्ट रूप से रिक्त हैं। इस हेतु प्रशासनिक विभाग की स्वीकृति पश्चात् राज्य सेवाओं की रिक्तियों के संबंध में संबंधित प्रशासनिक सचिव, अधीनस्थ, मंत्रालयिक तथा चतुर्थ श्रेणी सेवाओं में राज्य स्तरीय रिक्तियों के लिए संबंधित विभागाध्यक्ष तथा जिला/स्थानीय स्तरीय रिक्तियों के लिए संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी सेवाएं लेने हेतु सक्षम प्राधिकारी होगा।

- (2) किसी संवर्ग में कनिष्ठतम वेतनमान में रिक्तियों को 65 वर्ष से कम आयु के राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी (शारीरिक रूप से/चिकित्सकीय रूप से उपयुक्त होने पर ही) से भरी जा सकेगी। सक्षम प्राधिकारी संबंधित कर्मचारी की पात्रता को प्रमाणित करने के लिए श्रेष्ठ निर्णयकर्ता होगा।
- परन्तु उच्चतर पद के विरुद्ध समेकित पारिश्रमिक पर संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं, निम्नतर पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की पदोन्नति की संभावनाओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित न करने के अध्यक्षीन ली जा सकेगी।
- (3) केवल ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी, जिन्होंने 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, की पुनर्नियुक्ति संविदा सेवाएं लेने हेतु विचार किया जायेगा। ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों, जिन्हें सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया था या जिन्हें किसी अन्य रीति से दंडित किया गया था, के संबंध में संविदा पुनर्नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जायेगा।
- (4) संविदा पुनर्नियुक्ति सेवा पर वचनबंध एक बार में एक वर्ष की अवधि के लिये अथवा नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, की कालावधि के लिए होना चाहिए, जिसे प्रशासनिक विभाग की आज्ञा/पूर्व अनुमति से एक वर्ष की कालावधि के लिए और विस्तारित (Extend) किया जा सकता है बशर्ते संबंधित राजसेवक ने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो।
- (5) सक्षम प्राधिकारी ऐसी प्रक्रिया/मार्गदर्शक सिद्धान्त भी विहित कर सकेगा जो वह उद्देश्य और योग्यता आधारित नियुक्तियों को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त समझे।
- (6) सेवानिवृत्त कार्मिकों की संविदा पुनर्नियुक्ति सेवा के प्रयोजनार्थ समेकित पारिश्रमिक राशि संलग्न परिशिष्ट-‘क’ के अनुसार होगी।
- (7) संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं लेने के समय सक्षम प्राधिकारी और सेवानिवृत्त कार्मिक के बीच विस्तृत करार हस्ताक्षरित होगा (परिशिष्ट-‘ख’)।
- (8) संविदा पर पुनर्नियुक्त कार्मिक एक वर्ष में 12 दिवस की वैतनिक आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे। वे राजस्थान सेवा नियमों के अधीन उपार्जित अवकाश या किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के हकदार नहीं होंगे। बिना अवकाश के प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिए मासिक पारिश्रमिक का 1/30 वां भाग काटा जायेगा।
- (9) ऐसे व्यक्तियों को यात्रा भत्ता समेकित पारिश्रमिक के आधार पर विद्यमान यात्रा भत्ता नियमों के अधीन प्रवर्ग के अनुसार अनुज्ञात होगा।
- (10) संविदा पुनर्नियुक्ति, संविदा की किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त किये जाने के दायित्व के अध्यक्षीन होगी।
- (11) संविदा वचनबंध, संविदा की कालावधि के अवसान पर या नियमित रूप से चयनित व्यक्तियों की उपलब्धता पर, जो भी पहले हो, अभिमुक्त होगा।

- (12) संविदा पुनर्नियुक्ति आधार पर लगे हुए व्यक्तियों को गोपनीय या संवेदनशील प्रकृति के कार्य या नकदी संभालने/रोकड़बही को लिखने और रोकड़िया के रूप में कृत्य करने से संबंधित कार्य न्यस्त (Entrust) नहीं किये जायेंगे।
- (13) इस प्रकार प्रशासनिक विभाग के स्तर से एक वर्ष हेतु संविदा पुनर्नियुक्ति किए जाने एवं तत्पश्चात आगे एक वर्ष की अभिवृद्धि किए जाने के पश्चात् भी यदि ऐसे कार्मिक की अवधि में और अभिवृद्धि की आवश्यकता महसूस होती हो तो, कार्मिक/वित्त विभाग को तत्संबंधी प्रस्ताव संलग्न निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित सूचना के साथ भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।

यह परिपत्र वित्त विभाग की आई.डी. 101702143 दिनांक 23.05.2017 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी किया जाता है। यह जारी होने की दिनांक से कार्यावी होगा।

(भास्कर ए. सावंत)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदय।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव।
5. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर/विभागाध्यक्ष।
6. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4/2, ख-1/ख-2) विभाग।
7. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), कार्मिक विभाग को कार्मिक विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. सचिवालय के समस्त विभाग/अनुभाग/प्रकोष्ठ।
9. रक्षित पत्रावली।

(सुनील शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी :-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।

संयुक्त शासन सचिव

राज्य सरकार से सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों की संविदा पुनर्नियुक्ति सेवा में
अभिवृद्धि हेतु प्रस्ताव भेजने के लिए निर्धारित प्रपत्र

विभाग/कार्यालय: _____

सेवा का नाम: _____

1. सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी का नाम : _____
2. सेवा का नाम, जिससे संबंधित है : _____
3. जन्म तिथि और अंतिम आहरित वेतन : _____
4. अधिवार्षिकी की आयु प्राप्त करने की तारीख : _____
5. मूल विभाग का नाम : _____
6. सेवानिवृत्ति के समय धारित पद : _____
7. धारित पद का वेतनमान : _____
(सेवानिवृत्ति के समय)
8. अनुभव : _____
9. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन (रनिंग पे बैंड वेतन + ग्रेड पे)
(एलपीसी संलग्न है) : _____
10. मूल पेंशन राशि (पीपीओ की प्रति): _____
11. सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी की जिस रिक्त पद विरुद्ध संविदा पर सेवाएं ली जानी है, उस पद के रिक्त रहने एवं नियमानुसार भरे जाने में विलम्ब के कारण _____
12. सेवानिवृत्त कार्मिक की रिक्त पद/पदों के विरुद्ध संविदा पुनर्नियुक्ति से किसी अन्य कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा अथवा नहीं ? तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट करें: _____
13. स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण _____
14. भर्ती का तरीका(सीधी भर्ती या पदोन्नति) : _____
यदि पदोन्नति द्वारा :-
(1)अंतिम नियमित चयन कब किया गया था ? _____
(2)पदोन्नति के लिए पात्र वरिष्ठतम व्यक्ति उपलब्ध है या नहीं ? _____
(3)नियमित चयन के लम्बित रहने के दौरान पदोन्नति के लिए पात्र वरिष्ठतम व्यक्तियों में से कुछ स्थापन्न नियुक्ति संभव है या नहीं ? _____
15. रिक्त पद के विरुद्ध संविदा पर सेवाएं कब से ली जानी प्रारम्भ की गई (आदेश की प्रति संलग्न) तथा इस संविदा सेवा को कब से कब तक बढ़ाया गया ? (आदेश की प्रति संलग्न)
16. वह कालावधि जिसके लिए संविदा सेवाओं में अभिवृद्धि की जानी है _____
17. संविदा सेवाओं में अभिवृद्धि का विस्तृत औचित्य _____

हस्ताक्षर

सक्षम/नियुक्ति प्राधिकारी मय सील

परिशिष्ट-क

सेवानिवृत्त कार्मिकों की संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं लिये जाने पर समेकित पारिश्रमिक निम्नलिखित रीति से अवधारित की जायेगी :-

क्रम सं.	वेतनमान में सेवानिवृत्त होने वाले पदधारी राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2008 में वेतन बैंड + ग्रेड पे	समेकित पारिश्रमिक राशि प्रतिमाह (रूपयों में)
1.	5200-20200+ग्रेड वेतन 1700	6400
2	5200-20200+ग्रेड वेतन 1750	6500
3	5200-20200+ग्रेड वेतन 1900	7000
4	5200-20200+ग्रेड वेतन 2000	7400
5	5200-20200+ग्रेड वेतन 2400	9100
6	5200-20200+ग्रेड वेतन 2800	10400
7	9300-34800+ग्रेड वेतन 3600	12000
8	9300-34800+ग्रेड वेतन 4200	13400
9	9300-34800+ग्रेड वेतन 4800	17400
10	9300-34800+ग्रेड वेतन 5400	19500
11	15600-39100+ग्रेड वेतन 5400	19500
12	15600-39100+ग्रेड वेतन 6000	21000
13	15600-39100+ग्रेड वेतन 6600	21900
14	15600-39100+ग्रेड वेतन 6800	23200
15	15600-39100+ग्रेड वेतन 7200	24600
16	15600-39100+ग्रेड वेतन 7600	25400
17	15600-39100+ग्रेड वेतन 8200	29000
18	37400-67000+ग्रेड वेतन 8700	40100
19	37400-67000+ग्रेड वेतन 8900	42300
20	37400-67000+ग्रेड वेतन 9500	46600
21	37400-67000+ग्रेड वेतन 10000	47600

नोट :-1. नियमित नियुक्ति दिनांक से राज्य कर्मचारियों को ए.सी.पी. नियमों के तहत तीन ए.सी.पी. देय होती है। इसलिए उच्च पद से सेवानिवृत्त कार्मिक की, यदि निम्न पद पर संविदा पर पुनर्नियुक्ति की जाती है तो निम्न पद पर नियुक्त ऐसे कार्मिक को उस पद से संबंधित सेवा के निम्नतम पद के लिए निर्धारित ग्रेड-पे से ए.सी.पी.योजना के तहत स्वीकृत योग्य तीसरी उच्च ग्रेड-पे के अनुसार समेकित पारिश्रमिक देय होगा।

2. उक्त संशोधित पारिश्रमिक का लाभ संविदा पर पूर्व से पुनर्नियोजित सेवानिवृत्त कार्मिक को भी देय होगा।

सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा निष्पादित किये जाने वाला करार

सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों की संविदा पुनर्नियुक्ति पर सेवाएं लेने के लिए कार्मिक विभाग के परिपत्र सं. दिनांक..... द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसरण में निम्नलिखित करार राजस्थान सरकार, जिस अभिव्यक्ति में राज्यपाल की ओर से संविदात्मक करार करने के लिए सक्षम सरकार का प्राधिकारी सम्मिलित है, (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है) और श्री पुत्र/पुत्री श्री..... निवासी..... (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के बीच किया जाता है। जिसके द्वारा निम्नलिखित रूप में यह करार किया जाता है :-

1. संविदा वचनबंध द्वितीय पक्षकार को कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगा और प्रथम पक्षकार इसे किसी भी समय समाप्त कर सकता है। द्वितीय पक्षकार इस प्रयोजन के लिए किसी प्रशासनिक, अर्द्ध-न्यायिक या न्यायिक अनुतोष का अवलम्ब लेने का हकदार नहीं होगा।
2. द्वितीय पक्षकार द्वारा मूल विभाग के अधीन की गई पूर्व सेवा, यदि कोई हो, की कोई सुसंगति नहीं होगी या उसे सेवा फायदों की किसी निरन्तरता के लिए गिना नहीं जायेगा।
3. संविदात्मक वचनबंध एक वर्ष की कालावधि के लिए या द्वितीय पक्षकार के 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, किया जाता है।
4. वचनबंध की संविदा कालावधि पर नवीकरण के लिए विचार किया जा सकेगा परन्तु संविदात्मक वचनबंध की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती..... का कार्य और आचरण संतोषजनक होना चाहिये। किसी भी दशा में संविदात्मक वचनबंध की निरन्तरता 65 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी।
5. नियमित नियुक्ति दिनांक से राज्य कर्मचारियों को ए.सी.पी. नियमों के तहत तीन ए. सी.पी. देय होती है इसलिए उच्च पद से सेवानिवृत्त कार्मिक की, यदि निम्न पद पर संविदा पर पुनर्नियुक्ति की जाती है तो निम्न पद पर नियुक्त ऐसे कार्मिक को उस पद से संबंधित सेवा के निम्नतम पद के लिए निर्धारित ग्रेड-पे से ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत योग्य तीसरी उच्च ग्रेड-पे के अनुसार समेकित पारिश्रमिक देय होगा। द्वितीय पक्षकार को पारिश्रमिक समनुदेशित कार्य के संतोषजनक निर्वहन पर निर्भर होगा। किसी कमी की दशा में प्रथम पक्षकार तदनुसार पारिश्रमिक अवधारित करने के लिए प्राधिकृत होगा।
6. संविदात्मक वचनबंध 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर समाप्त किये जाने के दायित्व के अधीन होगा।
7. द्वितीय पक्षकार एक वर्ष में 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश का उपयोग करने का हकदार होगा। किसी भी प्रकार का कोई अन्य अवकाश अनुज्ञेय नहीं होगा।
8. प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिए मासिक परिलब्धियों का 1/30 वां भाग काटा जायेगा।

41

9. अधिकारिता के भीतर कार्य स्थान सक्षम प्राधिकारी के नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा प्रथम पक्षकार की ओर से विनिश्चित किया जायेगा। द्वितीय पक्षकार को राजस्थान के भीतर या बाहर कहीं भी कार्य करने के लिए भी निर्दिष्ट किया जा सकेगा।
10. ऐसे व्यक्तियों को यात्रा भत्ता समेकित पारिश्रमिक के आधार पर विद्यमान यात्रा भत्ता नियमों के अधीन प्रवर्ग के अनुसार अनुज्ञात किया जा सकेगा।
11. द्वितीय पक्षकार द्वारा समस्त नियमों और विनियमों, निदेशों और आदेशों का अनुपालन किया जाना है जो पहले से ही प्रवर्तन में है और जो संविदा कालावधि के दौरान जारी किये जा सकते हों।
12. पक्षकारों के बीच किसी विवाद को ऐसे प्राधिकारी को, जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट किया जा सकेगा।

द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर
दिनांक सहित

प्रथम पक्षकार की ओर से हस्ताक्षर

नियुक्त प्राधिकारी अधिकारी के
हस्ताक्षर

साक्षी:

1. _____
2. _____

साक्षी:

1. _____
2. _____

35/2017

41